रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2017/माघ 26, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 360
No. 51] DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2017/MAGHA 26, 1938 [N.C.T.D. No. 360

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 14 फरवरी, 2017

सं.फा. 61(469)/डीसीपीसीआर संशो./डीडी(सीपीयू)/डीडब्ल्यूसीडी/2012/37156–67.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 15 जनवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या यू–11030/1/2007 के साथ गठित बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2008 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.–(1)** इन नियमों को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **नियम 4 का संशोधन** .– दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग नियमावली, 2008 (इसके पश्चात् मूल नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''4 अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिये पात्रता:–

(1) मानव अधिकारों या बाल अधिकारियों के उल्लंघन का पिछला रिकार्ड रखने वाला कोई भी व्यक्ति आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में चयनित किये जाने वाले व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र जैसे षिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।''

3. **नियम 9 का संशोधन.**– मूल नियमावली के नियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''9 वेतन एवं भत्ते.– आहरित अन्तिम वेतन घटा पेंशन जमा ग्राह्य भत्ते, अधिकारी अपनी पेंशन का अलग से आहरण करेगा, परन्तु आयोग में उसकी कार्यावधि के दौरान पेंशन पर मंहगाई राहत देय नहीं होगी।''

4. **नियम 17 का संशोधन.**– मूल नियमावली के नियम 17 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

''17–स्थिति – अध्यक्ष/सदस्य को भारत सरकार के संयुक्त सचिव/दिल्ली सरकार के समकक्ष समझा जायेगा।''

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

सोम नायडू, अतिरिक्त सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 14th February, 2017

F. No. 61(469)/DCPCR Amend./DD(CPU)/DWCD/2012/37156-67.— In exercise of the powers conferred by section 36 of the Commissions for Protection of Child Rights Act 2005 (4 of 2006), read with the Government of India, Ministry of Home Affair Notification F. No U-11030/1/2007/ – UTL dated the 15th January, 2008, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi Commission for Protection of Child Rights Rules, 2008 as following, namely :-

Short title and Commencement :-

1. (i) These rules may be called the Delhi Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2017.

(ii) They shall come into force on and from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of rule 4.—** In the Delhi Commission for Protection of Child Rights, Rules 2008 (hereinafter referred as principal Rules), for rule 4, the following shall be substituted, namely :-

"4. Eligibility for appointment of Chairperson and other Members :-

(1) No person having any past record of violation of human rights or child rights shall be eligible for appointment as Chairperson or other Member of the Commission.

(2) A person to be selected as a Chairperson or Member of the Commission shall have at least five years experience in Social Sector like Education, Health, Social Welfare."

3. **Amendment of rule 9 .—** In the principal Rules, for rule 9 the following shall be substituted, namely :-

"9 Salaries and allowances - last pay drawn minus pension plus allowances admissible, the officer shall draw his pension separately, but no dearness relief on pension shall be payable during his tenure in the Commission".

4. **Amendment of rule 17 -** In the principal Rule, for rule 17 the following shall be substituted, namely :-

"17 Status - The Chairperson / Member shall be treated at par with Joint Secretary to Government of India/ Secretary to Government of Delhi."

By Order and in the name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
SOM NAIDU, Addl. Secy.,

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.02.22 12:38:38 +05'30'